न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–55 / 2022

प्रार्थीः–

अशोक पुत्र केशा उर्फ केशरीया जाति भील निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. लुम्बाराम पुत्र केशा उर्फ केशरीया जाति भील निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 05.05.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1746 / 137,23,29 व 59 रकबा क्रमशः 0.0648, 5.7546, 6.5721 व 0.3804 हैक्टेयर भूमि मौजा पादरू व खसरा संख्या 1494 रकबा 5.2286 हैक्टेयर मौजा ईटवाया तहसील सिवाना में अवस्थित है , विवादित भूमि पैतृक भूमि है जो प्रार्थी के पिता स्व. केशा उर्फ केशरिया की खातेदारी की थी प्रार्थी के पिता स्व. केशा उर्फ केशरिया के देहान्त के बाद तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा फौतदगी नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रमेश दर्ज कर दिय है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में उसका वास्तविक नाम ''अशोक पुत्र केशा '' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''रमेश पुत्र केशा उर्फ केशरिया'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्रांक [illegible] दिनांक 02.05.20[illegible] प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, स्कूल की टी.सी.एम्पलोई कार्ड, ए.पी.एल. 1 कार्ड, बैक डायरी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

गुजरात मध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर की अंकतालिका,तथा ग्राम पंचायत पादरू द्वारा जारी अभिशंसा प्रमाण पत्र की प्रति पेश किया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम '' अशोक पुत्र केशाजी'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1746/137,23,29 व 59 रकबा क्रमशः 0.0648, 5.7546, 6.5721 व 0.3804 हैक्टेयर भूमि मौजा पादरू व खसरा संख्या 1494 रकबा 5.2286 हैक्टेयर मौजा ईटवाया तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम '' रमेश पुत्र केशा उर्फ केशरिया '' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, स्कूल की टी.सी. एम्पलोई कार्ड, ए.पी.एल. 1 कार्ड, बैक डायरी, गुजरात मध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर की अंकतालिका,तथा ग्राम पंचायत पादरू द्वारा जारी अभिशंसा प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''अशोक पुत्र केशाजी '' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम '' रमेश पुत्र केशाजी उर्फ केशरिया '' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1746/137, 23, 29 व 59 रकबा क्रमशः 0.0648, 5.7546, 6.5721 व 0.3804 हैक्टेयर भूमि मौजा पादरू व खसरा संख्या 1494 रकबा 5.2286 हैक्टेयर मौजा ईटवाया तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम '' रमेश पुत्र केशा उर्फ केशरिया'' के स्थान पर ''अशोक उर्फ रमेश पुत्र केशाजी '' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:30:45 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)